

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2018/ आश्विन 12, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 623
No. 194]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2018/ ASVINA 12, 1940	[N.C.T.D. No. 623

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-2) विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2018

सं. फा. 2/1/1988/गृह पुलिस-2/खण्ड/717-720.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/10/2018 to 18/01/2019 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

**HOME (POLICE-II) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd October, 2018

No. F.2/1/88-HP-II/717-720.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19/10/2018 to 18/01/2019 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
O.P. MISHRA, Addl. Secy. (Home)